122

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

श्रीमति जानकी पुत्री भागीरथ यादव ,

निबासी ग्राम तखा , तहसील जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन **..... अनावेदक**

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका यह स्वमेव निगरानी ग्राम तखा, हल्का तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 52/2 रकवा 0.943 है0 , 55/2 रकवा 0.86 है0 , 57/1/1 रकवा 1.968 हैक्टर , 57/4 रकवा 1.054 है0 , 58 रकवा 0.276 हैक्टर में आवेदिका का नाम संशोधित करके **जानकी पुत्री भागीरथ सौंर** के स्थान पर **जानकी पुत्री भागीरथ यादव** संशोधित करने वावद तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश जारी करने वावद प्रस्तुत कर रही है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका **जानकी बाई पुत्री भागीरथ यादव** के नाम से उपरोक्त भूमियां राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में बर्ष 1997–98 के पूर्व से 2006–07 तक दर्ज रहीं हैं। बाद के बर्षों में आवेदिका का नाम **जानकी बाई पुत्री भागीरथ यादव** के स्थान पर **जानकी बाई पुत्री भागीरथ सौंर** लेख है। आवेदिका द्वारा कई बार तहसीलदार को उपरोक्त खसरा में आवेदिका के नाम के आगे लिखा "सौंर" हटाकर यादव लिखन/सुधारने का निवेदन किया/आवेदनपत्र प्रस्तुत किये, साथ में पुराने खसरा नंबरों की प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न कीं गईं, किन्तु तहसीलदार द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया, ना ही किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई ना ही की जा रही है। जिस कारण से आवेदिका उपरोक्त स्वमेव निगरानी इस सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने को मजबूर हुई है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R616-II/16 जिला Tikamgarh

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 52/2 रकवा 0.943 है0, 55/2 रकवा 0.86 है0, 57/1/1, रकवा 1.968 हैक्टर, 57/4 रकवा 1.054 है0, 58 रकवा 0.276 हैक्टर में आवेदिका का नाम के साथ लेख जाति "सौंर" के स्थान पर "यादव" करने वावद आदेश जारी करने वावद पेश की है। निगरानी के साथ बर्ष 1997—98 से 2006—07 तक के खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रतियां तथा बर्तमान खसरा नंबरों की प्रतियां प्रस्तुत कीं हैं। 2— मेरे द्वारा आवेदिका के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका की ओर से जो बर्ष 1997—98 से 2006—07 तक के खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं गई हैं, उनमें आवेदिका का नाम जानकी बाई पुत्री भागीरथ यादव लेख है, तथा जो बर्तमान खसरा की प्रतियां प्रस्तुत कीं हैं, उनमें आवेदिका का नाम जानकी बाई पुत्री भागीरथ सौंर लेख है। 3— आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उसकी जाति जन्म से यादव है, तथा रिकॉर्ड भी सौंर के स्थान पर यादव लेख किया जाना न्यायहित में है। आवेदिका द्वारा कई बार उपरोक्त त्रुटि के सुधार वावत आवेदनपत्र प्रस्तुत किये किन्तु सुधार नहीं किया गया, ना ही किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों के आधार पर यह स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाती है, तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आदेश की कंडिका कमांक एक में दर्शित भूमियों पर आवेदिका के नाम के आगे उसकी जाति "सौंर" के स्थान पर "यादव" राजस्व अभिलेख, कंप्यूटर अभिलेख में सुधार करें। प्रकरण परिणाम दर्ज कर दा0द हो। सदस्य	